संख्या-19/2021/385/छप्पन-2021-06/2007

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 15 फरवरी, 2021

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में स्थापित राजकीय एलोपैथिक डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद को निम्नीकृत कर चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 128/ना0उ0नि0/14 जी/2008(379) दिनांक 01 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश सख्या: 171/ना0उ0-50/88 दिनांक 28 मार्च, 1989 द्वारा स्वीकृत एवं शासनादेश संख्या: 825/छप्पन-2008-06/2007 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा उच्चीकृत तथा शासनादेश संख्या: 1018/छप्पन-2014-23/89 दिनांक 11 सितम्बर, 2014 द्वारा स्थायी घोषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद को आस्थगित / निम्नीकृत करते हुए चिकित्सा अधिकारी का 01 पद (पे-बैण्ड 15,600-39,100 व ग्रेड-पे 6600/-) वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 में स्वीकृत करने एवं इस पद पर उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के किसी चिकित्सा अधिकारी को सेवा अन्तरण के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-1 उल्लिखित शासनादेशों द्वारा सृजित / उच्चीकृत एवं स्थायी घोषित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद को आस्थगित रखते हुए उक्त पद को निम्नीकृत कर चिकित्सा अधिकारी का 01 पद (पे-बैण्ड 15,600-39,100 व ग्रेड-पे 6600/-) वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 में स्वीकृत / परिवर्तित किए जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त पद को सेवा अन्तरण के आधार पर उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भरा जायेगा।

3- उक्त चिकित्सा अधिकारी के पद धारक को मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य हो, भी देय होंगे। चिकित्सा अधिकारी के उक्त पद पर होने वाला व्यय विभागीय लेखा शीर्षक-''2070-अन्य-प्रशासनीक सेवाएँ-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्रथामिक इकाई के नामे डाला जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-287/दस-2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
सचिव

संख्या- 19/2021/385 (1)/छप्पन-2021-06/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा),उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।